

Summary of Endorsement

This document was presented for registration on this Tuesday, the 16th of August 2011 by Jagdish Singh.

A stamp duty of Rs. 188900/- and other fees of Rs. 879/- has been paid in it.

The document was found admissible. The names, photographs and fingerprints and signatures of the executants, and their identifier, who have admitted execution before me, are affixed on the reverse page.

The document has been registered as deed no. 21404 in Book No. 1, Volume No. 370 on pages from 372 to 384 and has been preserved in total 13 pages in C.D. No. 57 / Year 2011.

SCANNED

विज्ञानयक
SCORE Ver- 2.1
राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, बिहार

Signature with date
(Ashok Kumar Thakur)

Date : 16/08/2011

Token No. : 26334 / 2011

Registering Officer, Patna

T 26334/11 Rakesh

Scanned by Jagdish Singh



ए-यन साक्षीकरण
पक्षी पक्षी 16-8-2011
कविलेन रमल गजपक 119
विकास एकरनामा

(Development Agreement)








































यह विकास एकरनामा आज दिनांक 16 अगस्त 2011 को दोनों पक्षगण के बीच तैयार किया गया।

सहि जगदीश सिंह विकारी एकरनामा
लिखा सा सही है / कागज पं कर लयक किया /
जगदीश सिंह
16/8/11

श्रीक समुक्त

Serial No : 25813
Token No : 26334

Deed No : 21404
of 2011

Type & Status of Party	Name of Party	Photo	Thumb	Index	Middle	Ring	Little
In Favour of	Vinod Patel (Dir.)  Signature of Party						
Presented by Self	Jagdish Singh  Signature of Party						
Executed by	Niranjan Kumar  Signature of Party						
Executed by	Jagdish Singh  Signature of Party						
Executed by	Ravindra Singh  Signature of Party						
Executed by	Virendra Kumar  Signature of Party						
Identifier	Tulsi Pandit  Signature of Party						

यह कि उपरोक्त भूखण्ड अन्य भूखंड एक निबंधित वसीका दानपत्र के द्वारा दिनांक 14.03.1945 ई0 को नविस्ता तेतर महतो पिता का नाम स्व0 टहल महतो, निवासी ग्राम- खलीलपुरा, थाना- दानापुर, जिला- पटना से बनाम मंगरु महतो वल्द स्व0 छेदी महतो, ने हासील किया है। जिसका वसीका नं0- 652, बुक नं0- 1, जिल्द नं0- 4, पेज नं0- 503 से 506 सन् 1945 ई0 निबंधन कार्यालय पटना सदर है। जिसपर मंगरु महतो दान मिलने की तारीख से ही निर्विवाद काविज वो दाखिल मालिक मुस्तकील हुये वो रहे वो चले आये। कुछ समय के बाद मंगरु महतो अपने एक पुत्र श्री जगदीश सिंह (भू-स्वामि) को छोड़कर स्वर्गवास कर गये। श्री जगदीश सिंह (भू-स्वामि) अपने पिता के स्वर्गवास कर जाने के बाद अन्य जायदाद के साथ इस वसीका के खाना नं0- 5 में अंकित जायदाद पर वहैसियत उत्तराधिकारी कर्ता धर्ता वो संरक्षक अपने परिवार के निर्विवाद काविज वो दाखिल मालिक मुस्तकील होते वो रहते वो भी व अदाय मालगुजारी रसीद मालिक मुस्तकील होते वो रहते चले आते हैं वो हैं। जिसका जमाबंदी नं0- 262 है।

यह कि अपर्णा आर्किटेक्ट प्राइवेट लिमिटेड, जिसके निदेशक श्री विनोद पटेल विकासकर्ता(डिवलपर) द्वितीय पक्ष ने जमीन मालिक/प्रथम पक्ष के पास आये और निवेदन किये कि आप अपनी जमीन पर विकसित एवं निर्माण कार्य करने के लिए हमारे उपरोक्त फर्म को दें तथा वे आपको विश्वास दिलाते है कि प्रथम पक्ष और द्वितीय पक्ष द्वारा मिलकर तय समय सीमा के अन्दर द्वितीय पक्ष विकास निर्माण कार्य पूरा कर देंगे। जमीन मालिक प्रथम पक्ष और विकासकर्ता द्वितीय पक्ष निवेदन पर विचार किये। दोनों विचार-विमर्श के पश्चात् यह यह निर्णय किए कि प्रथम पक्ष के साथ निम्नलिखित अनुबंध एवं शर्तों पर यह विकास एकरारनामा **(Development Agreement)** करते हैं :

(1) यह कि जमीन मालिक/प्रथम पक्ष अपना उपरोक्त वर्णित जमीन पूर्व में न किसी से बेचे है और न उसपर किसी तरह का अधिकार है अर्थात् उक्त जमीन हर तरह के अधिकार से मुक्त है और इस तरह का एकरारनामा पूर्व में किसी व्यक्ति या किसी संस्था के साथ नहीं किया गया है। जमीन मालिक/प्रथम पक्ष अपने उक्त भूखंड पर आने

विनोद पटेल
9/12/99

3

सही- विनोद पटेल

विनोद पटेल
9/12/99

स: जगदीश सिंह

11/11/99



जाने हेतु वित्त विभाग कर्मचारी सहकारी गृह निर्माण समिति लि० पटना से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर चूके हैं। जिसका पत्रांक संख्या-02 दिनांक 25.03.2002 है।

(2) यह कि जमीन मालिक एवं विकासकर्ता उचित शर्तों के साथ एक एकरारनामा करे जिससे कि विकासकर्ता को उक्त जमीन को विकसित करने का अधिकार प्राप्त हो। इसी अनुसार यह एकरारनामा बनाया जा रहा है।

(3) यह कि इस जमीन पर दानापुर नगर परिषद /पटना नगर निगम से नक्सा स्वीकृत कराकर विभिन्न तलों पर फ्लैट्स का निर्माण कराया जाय।

(4) यह कि विकासकर्ता द्वितीय पक्ष इस जमीन पर उपर्युक्त लिये गये निर्णय के अनुसार फ्लैट का निर्माण करने के लिए सहमत है। इस निर्माण कार्य में जो भी खर्च होगा उस खर्च को विकासकर्ता पूर्णतया वहन करेंगे।

(5) यह कि इस एकरारनामा के होते ही विकासकर्ता उक्त जमीन के विकास के लिए अविलम्ब ही नक्सा बनायेंगे एवं संबंधित विभाग से स्वीकृत करायेंगे जिससे कि दोनों पक्षों को अधिकतम लाभ हो सके। इसके लिये जमीन मालिक द्वारा दो माह की अवधि विकासकर्ता को दिया गया है।

(6) यह कि उपरोक्त जमीन का नक्सा का दानापुर नगर परिषद /पटना नगर निगम से अनुमति लेने के लिए जो भी खर्च होगा उसका वहन विकासकर्ता करेंगे।

(7) यह कि दानापुर नगर परिषद/पटना नगर निगम के द्वारा स्वीकृत नक्से में निर्माण के दौरान फ्लैट एरिया में बदलाव आने पर जमीन मालिक एवं विकासकर्ता के हिस्से में उसी के अनुपात में बदलाव आयेगा।

(8) यह कि तय किया गया कि दानापुर नगर परिषद/पटना नगर निगम द्वारा नक्से की स्वीकृति के दिन से 5 वर्ष यानि साठ माह में विकासकर्ता को भवन निर्माण एवं विकास कार्य पूरा कर देना है इसके अतिरिक्त 6 (छः) माह का कृपा काल और दिया जायेगा बशर्ते भवन

Nirman Banwar Sindh

16/8/11

सही निरंजन कुमार सिन्हा

विकास एकरारनामा लिखा

सही सही ही बनाया प्रकृ

समय लिखा।

Nirman Banwar Sindh
16/8/11

4.

स. ज. अ. इ. अ. इ. अ. इ.

16/8/11



निर्माण मे कोई कानुनी अड़चन न आये। अगर भवन निर्माण में किसी प्रकार तकनीकी अड़चन उत्पन्न होगा तो वैसी स्थिति में अग्रिम में दी गई राशि को जमीन मालिक/प्रथम पक्ष विकास कर्ता को लौटा देंगे तत्पश्चात यह विकास एकरारनामा रद्द हो जायेगा।

(9) यह कि तय किया गया है कि इस जमीन में दानापुर नगर परिषद/पटना नगर निगम के द्वारा अनुमोदित नक्से के अनुसार बनाये गये प्लैट में जमीन मालिक प्रथम पक्ष को निर्मित क्षेत्र एवं पार्किंग का 42 (बियालीस) प्रतिशत तथा विकासकर्ता को निर्मित क्षेत्र एवं पार्किंग का 58 (अठ्ठवन) प्रतिशत होगा। इसके अतिरिक्त निर्माण होने पर उपरोक्त प्रतिशत के अनुसार हिस्सा मिलेगा।

(10) यह कि जमीन मालिक या उनके द्वारा मनोनीत व्यक्ति या व्यक्तियों को जमीन मालिक के हिस्से में पड़ने वाले प्लैट्स को उपयोग में लाने के लिए जमीन मालिक पूर्णतया स्वतंत्र होंगे तथा उसपर उनका पूर्णतया अधिकार होगा।

(11) यह तय किया गया कि जमीन मालिक अपने हिस्से में पड़ने वाले प्लैट्स एवं पार्किंग स्पेस को किसी भी व्यक्ति या संस्था से बेचने तथा लीज पर देने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र होंगे।

(12) यह तय किया गया कि विकासकर्ता के हिस्से में पड़ने वाले प्लैट्स पर विकासकर्ता या उनके द्वारा मनोनीत व्यक्ति या व्यक्तियों या संस्था का पूर्ण अधिकार होगा तथा उस हिस्से पर विकासकर्ता के हिस्से में पड़ने वाले प्लैट पर उनका पूर्ण स्वामित्व एवं न्यायिक अधिकार प्राप्त होगा।

(13) यह कि जमीन मालिक विकासकर्ता के हिस्से में पड़ने वाले प्लैट को विकासकर्ता द्वारा बेचने इत्यादि में किसी भी प्रकार की माँग नहीं करेंगे तथा इससे संबंधित सभी डीड तथा कागजातों पर आवश्यकता अनुसार हस्ताक्षर कर देंगे।

(14) यह भी तय किया गया कि जमीन मालिक एवं विकासकर्ता जबतक यह एकरारनामा चालू है तब तक इस जमीन को पूर्ण या आंशिक रूप से न तो बेचेंगे न गिरवी रखेंगे, न पट्टे पर देंगे न बदलै न करेंगे। जमीन मालिक और विकासकर्ता यह वादा करते हैं कि



Dr. J. K. Singh

16/8/11

विकास का कार्य जबतक पूर्ण नहीं हो जाता है जमीन मालिक एवं विकासकर्ता न जमीन बेचेंगे न गिरवी रखेंगे और न किसी तरह का कर्ज लेंगे।

(15) यह कि विकासकर्ता विकास का कार्य स्वयं करेंगे या करायेंगे किसी भी हालत में विकास कार्य किसी दूसरे से लीज या पट्टा पर नहीं करायेंगे। विकासकर्ता- विकास कार्य हेतु पेटी ठेकेदार एवं सब कॉन्ट्रैक्टर की नियुक्ति कर सकते हैं। यह कि यह एकरारनामा किसी भी प्रकार से जमीन मालिक एवं विकासकर्ता के बीच हिस्सेदारी का कागज नहीं समझा जायेगा।

(16) यह कि एग्जीमेन्ट के बाद ऐसा समझा जायेगा कि उक्त जमीन को विकसित करने हेतु विकासकर्ता को उस जमीन पर कार्य करने का स्वामित्व जमीन मालिक के द्वारा प्रदान कर दिया गया है। उस जमीन के विकास हेतु इस एकरारनामा शर्तों के अनुसार आगे की कार्यवाई करने हेतु प्राधिकृत है।

(17) यह कि विकासकर्ता इस जमीन पर दानापुर नगर परिषद्/पटना नगर निगम द्वारा स्वीकृत नक्से के अनुसार प्लैट बनाने के लिए प्राधिकृत किये जाते हैं।

(18) विकासकर्ता को यह अधिकार होगा कि अपने हिस्से में पड़ने वाले प्लैट को किसी को बेचे या किराये पर दें। इसमें जमीन मालिक या उनके उत्तराधिकारी को कोई आपत्ति नहीं है वो न होगा।

(19) यह कि इसी प्रकार जमीन मालिक अपने हिस्से में पड़ने वाले प्लैट के पूर्ण स्वामी होंगे तथा वे उसे बेचेंगे, किराये पर देने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र होंगे। इसमें विकासकर्ता या उनके प्रतिनिधि को कोई आपत्ति नहीं है वो न होगा।

(20) यह कि तय किया गया है कि विकासकर्ता कोई भी ऐसा काम सीधे या परोक्ष रूप से नहीं करेंगे जिससे कि जमीन मालिक को उक्त जमीन के राइट, टाइटल तथा इनटरेस्ट पर असर पड़ता है।

(21) यह कि निर्माण कार्य के दौरान अगर विकासकर्ता को आवश्यकता होती है तो विकासकर्ता अपने हिस्से में पड़ने वाले प्लैट्स के कंतागण हेतु हाउसिंग लोन की व्यवस्था किसी भी संस्था, बैंक आदि



3/4/16/18/11
16/8/91

से कर सकते हैं। इस परिस्थिति में विकासकर्ता अपने हिस्से में पड़ने वाले फ्लैट, कार पार्किंग तथा अन्य निर्माण को सिक्युरिटी के रूप में दे सकते हैं। यह लोन सिर्फ विकासकर्ता के कंटागण द्वारा अदा किया जायेगा तथा मालिक के हिस्से पर किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं होगा।

(22) यह कि जमीन मालिक यह वादा करते हैं कि उस जमीन के स्वामित्व से संबंधित कोई गड़बड़ी या उस जमीन पर कोई अधिकार हो तो उसे अपने खर्च पर दूर करेंगे एवं इस जमीन को अधिभार रहित बनाकर तथा टाईटिल संबंधित कोई गड़बड़ी हो तो उसे पूरा कर विकासकर्ता को सौंपेंगे।

(23) यह कि फ्लैट्स (मकान) निर्माण कार्य पूरा हो जाने पर जमीन मालिक एवं विकासकर्ता द्वारा एक को-ऑपरेटिव सोसाइटी/सदस्यों का एसोसियेशन बनाया जायेगा। इस इमारत में रहने वाले सभी उसके सदस्य बनाये जायेंगे और सभी सदस्य मिलकर इस इमारत का रख-रखाव करेंगे।

(24) यह कि निर्मित इमारत में जितने भी कॉमन एरिया है उस पर सभी सदस्यों का समान रूप से अधिकार होगा तथा सभी सदस्य उत्सव या शादी-विवाह के अवसर पर उसको सुविधानुसार इस्तेमाल करेंगे। इस इमारत में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को उस कॉमन एरिया पर किसी भी हालत में एकाधिकार नहीं होगा।

(25) यह कि अपार्टमेंट ऐक्ट-2006 के अनुसार विकासकर्ता अपने हिस्से के फ्लैट, कौमन स्पेश, पार्किंग को अपने ग्राहको से बेचने एवं उसका वसीका बिक्रय पत्र, बयब्याना (Sale Agreement) या किसी प्रकार का दस्तावेज निबंधन करने के लिये स्वतंत्र हैं। उसी प्रकार प्रथम पक्ष जमीन मालिक भी अपने हिस्से के फ्लैट, कौमन स्पेश, पार्किंग को अपने ग्राहको से बेचने एवं उसका वसीका बिक्रय पत्र, बयब्याना (Sale Agreement) या किसी प्रकार का दस्तावेज निबंधन करने के लिये स्वतंत्र हैं।

(26) इस एकरारनामा के तहत अगर कोई शंका, विवाद विकासकर्ता या जमीन मालिक के बीच होता है तो उसको इंडियन आरबिट्रेशन एक्ट 1940 के अनुसार दोनों पक्षों द्वारा मध्यस्थ बहाल कर विवाद सुलझाया



34/1/2018

11/8/91

जायेगा। इस अवस्था में मतव्य नहीं होने पर दोनों पक्ष अपना-अपना मध्यस्थ बहाल करेंगे। दोनों मध्यस्थ के एकमत फैसले को दोनों पक्ष मानने के लिए बाध्य होंगे।

(27) यह कि विकासकर्ता वादा करते हैं कि हर हालत में विकास एवं विकास निर्माण का कार्य समय सीमा के अन्दर पूरा करेंगे।

(28) यह कि जमीन मालिक ने विकास कर्ता से रिफण्डेबुल तीस लाख रुपये मात्र इस विकास एकरारनामा पर दस्तखत करने के समय वसुल पाये हैं। विकास कर्ता जैसे जैसे जमीन मालीक के हिस्से का निर्मित क्षेत्रफल जमीन मालीक के हवाले करते जायेंगे, जमीन मालीक विकास कर्ता को उसी अनुपात में अदाय करे जायेंगे। अर्थात् जमीन मालीक अपने हिस्से क निर्माण कमशः पुरा होने पर तीन महीना के अन्दर बिना ब्याज के उपरोक्त राशि विकासकर्ता को अदाय कर देने के बाद ही अपने हिस्से के निर्मित क्षेत्र पर काविज होंगे। अन्यथा एक हजार रुपये प्रति वर्गफीट के हिसाब से जमीन मालीक के हिस्से का निर्मित क्षेत्र विकास कर्ता ले लेंगे एवं उसको बेचने का अधिकार विकास कर्ता का होगा। इसमें जमीन मालीक एवं उनके उत्तराधिकारी को कोई आपत्ति नहीं है वो न होगा।

(29) यह कि इस एकरारनामों में निहित शर्तों के सम्बन्ध में और इसके अलावे बिहार एपार्टमेंट औनरशिप एक्स 2006 (Bihar Apartment Ownership Act 2006) यथा स्थान मान्य होंगे।

यह कि उपरोक्त बहुमंजली भवन के प्लैट के निर्माण संबंधित विशेषताएं निम्न प्रकार होंगे।

1. स्ट्रक्चर - छड़ सिमेंट एवं गिट्टी के साथ फस्ट श्रेणी का ईट के साथ स्ट्रक्चर एवं सिमेंट डिजाईन वर्क
2. दरवाजा - (ए) सखुआ के लकड़ी का चौखट
(बी) 32 मि० मि० मोटाई का फ्लस दरवाजा
(सी) चौखट एवं दरवाजा तीन कोट सिंथेटिक एनामल पैट प्राईमर के साथ।



34/11/11
11/8/91
स: जागरूक

3. खिड़की - सखुआ का चौखट एवं लकड़ी का पल्ला सिंथेटिक एनामल पेंट प्राईमर के साथ ।
4. फ्लोरिंग- फ्लैट के सभी फर्स क्षेत्र पर स्लैब मार्बल दिया जायेगा। पार्किंग में से आर सी.सी. ढलाई।
5. किचेन - (ए) कुकिंग प्लेटफौर्म से 2 फीट उपर वाल टाईलस
(बी) स्टील सिंक
(सी) वर्किंग टैबल ग्रेनाईट
6. बाथरूम - (ए) फ्लोरिंग मार्बल का होगा।
(बी) दिवार पर 7 फीट उंचा टाईलस लगेगा।
(सी) सभी फ्लैट में 2 Toilets
(डी) दोनों Toilets में वेशिन।
7. फिटिंग - क्रोमियम पेन्ट सीपी फिटिंग, सिस्ट्रन सफेद कलर में
8. इलेक्ट्रीक - (ए) सभी फ्लैटों में कॉपर वायर अण्डर वारिंग
(बी) दो टी0बी0 प्वाइन्ट एक टेलिफोन प्वाइन्ट
(सी) सभी इलेक्ट्रीक स्वीच और अन्य इलेक्ट्रीक समान स्टेन्डर्ड कम्पनी का।
(डी) प्रत्येक फ्लैट में पावर प्वाइन्ट एवं सौकेट दिया जायेगा।
(ई) मास्टर बेडरूम में 15 एम पीयर का एसी प्लाईन्ट किचेन रूम में 15 एम पीयर का मिक्सी प्वाइन्ट।
9. आन्तरिक दिवार- (ए) सभी आन्तरिक दिवार पी0ओ0पी0 से फिनिस होगा।



11/18/11
16/8/11
15

10. बाहरी दिवार- सभी वाहरी दिवार सुपर स्नासेन 3 कोट से फिनिस किया जायेगा
11. पानी का स्पलाई - प्रत्येक ब्लॉक में
(ए) एक बोरिंग और पम्प सेट रहेगा
(बी) प्रत्येक फ्लैट में पानी की स्पलाई 24 घंटे प्राप्त रहेगा।
12. पावर- 24 घंटे केवल अपार्टमेंट में बिजली एवं जेनरेटर सुविधा उपलब्ध एवं चेंज ओभर ।
13. इन्टर कॉम - (ए) यदि जमीन मालिक और बिल्डर कुछ अन्य समान सुविधा के लिए बनाना चाहे तो आपस में तालमेल से बना सकते हैं।
(बी) अपार्टमेंट के सभी फ्लैट इन्टर कॉम सुविधा से जोड़ दिया जायेगा।

नोट:- उपर्युक्त सभी विशेषताएं जमीन मालिक के हिस्से के क्षेत्रफल के लिये हैं।

सम्पत्ति का पूर्ण विवरण

रकवा-59 डिसमील, रैयती परती आवासीय भूमि अवस्थित मौजा-खलीलपुरा (रेलवे लाईन से दक्षिण), थाना-दानापुर, अवर निबंधन कार्यालय- दानापुर, वो जिला अवर निबंधन कार्यालय एवं जिला- पटना, तौजी नं0-5298, खाता नं0-25, सर्वे खेसरा नं0- 665 (छ: सौ पैसठ), थाना नं0- 54, वजमीन्दारी बिहार सरकार अंचलाधिकारी दानापुर है। उपरोक्त जायदाद दानापुर नगर परिषद्/पटना नगर निगम के अन्दर है। जिसका थाना कोड सं0 179 है। उपरोक्त भू-खंड का चौहद्दी निम्नांकित है।



16/8/11

-:चौहद्दी:-

- उत्तर - वित्त विभाग कर्मचारी सहकारी गृह निर्माण का रास्ता
 दक्षिण - घरभरण सिंह
 पूरव - मंगर महतो
 पश्चिम - झगरु सिंह

जमीन का मूल्य वर्तमान सरकार द्वारा निर्धारित दर के मुताबिक
 मो० 94,40,000/- (चौरानवे लाख चालीस हजार) रुपये मात्र।

यह कि उपरोक्त अनुबंध एवं शर्तों के साथ यह विकास एकरारनामा
 (Development Agreement) जमीन मालिक प्रथम पक्ष ने
 विकासकर्ता द्वितीय पक्ष के पक्ष में निम्न साक्षीगण के समक्ष लिख
 दिये कि समय पर काम आवे वो प्रामाण रहे।

साक्षीगण का हस्ताक्षर :-


1. नुमशी
 जिला माला पंडित
 सिडला लाबागे
 ममानरकं :- 5-5
 पुनवारी शरीफ
 4271

जमीन मालिक का हस्ताक्षर

- ① जगदीश सिंह
 16/08/11
 ② रवीन्द्र कुमार
 16/08/11.
 ③ विरेंद्र कुमार
 9/8/1999.
 ④ Niranjan Kumar Singh
 16/8/11
 विकासकर्ता का हस्ताक्षर

2. मोठ जावेद
 मोठ अब्दुल हमीद
 274-A. एकरण गजट
 सिवट 11
 पुनवारी शरीफ
 4271

For Architect Pvt. Ltd.
 Vinod Patel



Endorsement of Certificate of Admissibility

Admissible under Rule 5 : duly stamped (or exempted from or does not require stamp duty) under the Indian Stamp Act, 1899, Schedule I or I-A, No. 05. Also admissible under section 26(a) of the B. T. Act.

Stamp duty paid under Indian Stamp Act	Rs.	188900	Amt. paid by N.J. Stamp Paper -		Rs. 0				
Addl. Stamp duty paid under Municipal Act	Rs.		Amt. paid through Bank Challan -		Rs. 189779				
		Registration Fee		LLR + Process Fee	Service Charge				
FEE PAID	A1	0 C	0 H1b	0 Ka1	0 Lii	0	LLR	0	
	A8	0 D	0 H2	0 K1b	0 Liii	0	Proc. Fee	0	400
	A9	0 DD	0 I	150 K1c	0 Mb	25	Total-	0	
	A10	0 E	250 J1	0 K2	0 Na	54			
	B	0 H1a	0 J2	0 Li	0				
				TOTAL-		479			
						879			

Total amount paid (Reg. fee+LLR, Proc+Service Charge) in Rs. .

Date : 16/08/2011

Registering Officer
Patna

Endorsement under section 52

Presented for registration at Registration Office, Patna on Tuesday, 16th August 2011 by Jagdish Singl S/O-Late Mangru Mahto by profession Others. Status - Executant

Signature / L.T.I. of Presentant 16/8/11



Registering Officer
Patna

Endorsement under section 58

Execution is admitted by those executants and identified by the person (identified by Tulsi Pandit age Sex M son/daughter of S/O-Bhola Pandit resident of Birla Colony, Jalalpur, Danapur, Patna.) whose names, photographs, fingerprints and signatures are affixed as such on back page / pages of the instrument.

Date : 16/08/2011

Registering Officer
Patna

Endorsement of Certificate of Registration under section 60

Registered at Registration Office Patna in Book No. 1 Volume No. 370 on page no. 372 - 384 for the year 2011 and stored in CD Volume No.CD-57 year 2011. The document no. is printed on the front Page of the document.

Date : 16/08/2011

Registering Officer
Patna



Handwritten signature/initials